बिहार सरकार

परिवहन विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

राज्य परिवहन आयुक्त का कार्यलय बिहार, पटना।

पत्रांकः– 3214 दिनाकः– 19/6/17

श्रीमती सुमन कुमारी सिन्हा, पति– श्री विवेकानंद शर्मा, 8, न्यू बाराद्वारी, साकची जमशेदपुर जिला– पूर्वी सिहंभूम (झारंखंड) के वाहन संख्या–JH-05A-7165 पर STA, झारंखंड द्वारा निर्गत परमिट संख्या–34/2013 के प्रतिहस्ताक्षर हेतु विभिन्न तिथियों को STA, बिहार के कार्यालय में आवेदन दाखिल किया गया है।

परमिट प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रेषित STA, झारंखंड से प्राप्त अनुशंसा पत्र संख्या–4151/2012, STA, 208 दिनांक– 31.01.2013 में एवं परमिट की प्रति में उल्लिखित शर्त के अनुसार अगर परमिट पर आवृत वाहन संख्या–JH-05A-7165 को किसी अन्य वाहन से दिनांक–25.04.13 के पूर्व प्रतिस्थापित नहीं किया जाता है तो परमिट संख्या–34/2013 स्वमेव रद्द समझा जायगा। कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख के अनुसार वाहन वाहन संख्या–JH-05A-7165 को वर्तमान तक भी किसी अन्य उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापित नहीं किया गया है। अतः परमिट संख्या–34/2013 स्वयमेव रद्द हो चुका है तथा इसका प्रतिहस्ताक्षर संभव नहीं है इस संबंध मे पूर्व में भी डाक से आपको सूचना दी गयी है परंतु फिर भी प्रतिहस्ताक्षर हेतु बारंबार आवेदन दिया जा रहा है।

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि परमिट संख्या–34/2017 के प्रतिहस्ताक्षर हेतु STA, बिहार के कार्यालय में आवेदन दाखिल नहीं किए जाएं। इसके बाद भी अगर आपके द्वारा प्रतिहस्ताक्षर हेतु आवेदन दाखिल किया जाता है तो STA, बिहार न तो परमिट प्रतिहस्ताक्षर हेतु और न हीं बैंक ड्राफ्ट लौटाने को वाध्य होगा।

उप सचिव
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

M.R.JH-449